

परिवहन विभाग

1183:3

/संची, दिनांक = १७/०५/२०२३

॥ अधिसूचना ॥

3. विभागीय अधिसूचना संख्या -17/36 दिनांक 19.06.2002 से विहित ~~है~~ यथावत्

झारखण्ड राजपत्र के आदेश से

संविधान सभा - परिवहन. आयुर्विज्ञान

1233

प्रतिफल: विश्व
= 12

प्रतिलिपि = छापीली, राजपुत्री, मुद्रणावली, डोसा, रॉची की ~~जाहगुद~~ राजपत्र की
आसामाएण अंक में प्रमाणागर्थ प्रेषित । अभिसूचना की याँच रीं प्रतियाँ कीयाँल्य। आसामाएण इस
छापील्य। कीं कपया भेजे जायें ।



सचिव महोदय परिवहन आयुक्त

[illegible]

1439

सचिव-सह-प्रबन्धन आयुक्त

प्रतिनिधि - अनिदेशक, जस सम्पर्क सूची सूचना विभाग, T. H. R. @ 0000 को "अनिरा" अधिसूचना को दो प्रतिनिधियों में प्रेषित । अनिरा अनुरोध है कि "अनिरा" सूचना का प्रकाशन हिन्दी में, एक बार, दैनिक समाचार सूत्र में एक तिथि को अधिसूचित करवाया जाय । अनिरा ने सत्र कर के ।

सचिव सह-परिवहन आयुक्त

झारखण्ड सरकार

परिवहन विभाग

अधिसूचना - परिसूचिका-3006/2012

1234. '1/रांची, दिनांक - '07)ml1r2
॥ अधिसूचना ॥

केंद्रीय मोटरवाहन विधिविधिसूची 1989 की क्लिप 108 (III) की द्वारा राज्य सरकार को पंजीन बत्ती प्रयोग काहे की संबंध में अधिसूचना जारी काहे की अधिकार प्राप्त है।

2. विभागीय अधिसूचना 11 संख्या 561756 दिनांक 19.06.2002 की द्वारा विभिन्न विविध व्यक्तियों/व्यक्तियों को उनके सरकारी वाहनों को:- अपो/ऊपर में पंजीन बत्ती (लाल एवं पीली) उपयोग काहे हेतु अधिकृत किया गया है। राज्य सरकार द्वारा संश्लेषण, विचारोपरान्त इन अधिसूचना व्यक्तियों/व्यक्तियों को:- अतिरिक्त निदेशक, रिम्स को:- वीएम को:- अपो/ऊपर पीली बत्ती परामर्श की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. विभागीय अधिसूचना 11 संख्या -1756 दिनांक 19.06.2002 में विहित विधि यथावत् रहेगी ।

झारखण्ड गजियोगी को:- आदेश से

सचिव-सह-परिवहन आयुक्त

परिवहन विभाग

ज्ञापांक - परिसूचिका-3006/2012

1234

रांची, दिनांक - 07/11/12

प्रतिनिधि 4 - "उपस्थानिक, राजकीय सुदृष्टि, कोण्डा, रांची को। झारखण्ड राज्य के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित । अधिसूचना की शीर्षक प्रतियाँ कार्यवाही के लिए इस कार्यालय को भेजी जायें ॥

ज्ञापांक - परिसूचिका-3006/2012

1234

सचिव-सह-परिवहन आयुक्त

प्रतिनिधि 4 - महाप्रधान राजावाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, रांची के मुख्य न्यायाधीश के सचिव/प्रधान सचिव/अपर प्रधान सचिव/माननीय अध्यक्ष विधान सभा के सचिव/मुख्य निवर्तमान अधिकारी, झारखण्ड राज्य निवर्तमान आयुक्त/सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/निदेशक एवं पुलिस वही निदेशक/निदेशक/झारखण्ड सभी प्रमंडलीय आयुक्त/अधिकांश/पुलिस अधीक्षक/निदेशक, रिम्स, झारखण्ड निदेशक परिवहन अधिकारी/प्रवर्तन अधिकारी/प्रवर्तन निरीक्षक/प्रवर्तन निरीक्षक/प्रवर्तन निरीक्षक को सूचित एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित ॥

ज्ञापांक - परिसूचिका-3006/2012

1234/1

सचिव-सह-परिवहन आयुक्त

प्रतिनिधि 4 - निदेशक, जल सम्पर्क एवं सूचना विभाग, झारखण्ड को। अधिसूचना को दो प्रतियों में प्रेषित । उनसे अनुरोध है कि सूचना को प्रकाशन हिन्दी एवं अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र में एकत्रित को प्रकाशन को ला कष्ट करें ।

सचिव-सह-परिवहन आयुक्त